कार्यालय नगर निगम, भागलपुर

स्वामी विवेकानन्द पथ
कचहरी कैम्पस
भागलपुर
logon to- bhagalpurnagarnigam.in, e-mail- nagarnigambhagalpur@gmail.com, contact- 0641-2302035

अल्पकालीन ई–निलामी आमंत्रण सूचना सं0–01/2026–27

(केवल ई–टेंडरिंग पद्धति द्वारा वेबसाईट–www.eproc2.bihar.gov.in पर)

विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 के पावन अवसर पर बरारी घाट आने वाले श्रद्धालुओं/कांवरियों की सुविधा हेतु भागलपुर नगर निगम द्वारा बरारी पुल घाट (गंगा नदी तट) पर दिवार से सटे हुए तथा बरारी पुल घाट पहूँच पथ से संतोषी माता मंदिर तक सड़क के दोनों ओर अस्थायी दुकानें, स्टॉल एवं कियोस्क लगाने हेतु स्थलों का आवंटन ई–ऑक्शन (e-Auction) के माध्यम करने हेतु अल्पकालीन ई–निलामी आमंत्रित की जाती है।

1. विज्ञापन दाता का नाम एवं पता – नगर आयुक्त, नगर निगम भागलपुर।
2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि – दिनांक 06.07.2026
3. निविदा कागजात डाउनलोड/अपलोड करने की अवधि – दिनांक 08.07.2026 से 14.07.2026 के 15:00 बजे तक (on website-www.eproc.bihar.gov.in)
4. प्री बिड मीटिंग का समय/स्थान/तिथि – दिनांक–10.07.2026 समय–12.00 बजे, स्थान – कार्यालय, नगर निगम भागलपुर।
5. तकनीकी की तिथि/समय – दिनांक 14.07.2026 को 15:30 बजे के बाद (on website-www.eproc2.bihar.gov.in)
6. ई–निलामी की तिथि – तकनीकी मूल्यांकन के उपरांत eproc 2 के माध्यम से (on website-www.eproc2.bihar.gov.in)
7. निलामी की विवरणी –

क्रमा0	सैरात की बंदोबस्ती	सुरक्षित जमा राशि	अग्रधन की राशि (Eproc 2 के माध्यम से)	परिमाण विपत्र का मूल्य (लौटाने योग्य नहीं)(Eproc 2 के माध्यम से)	बीड प्रोसेसिंग फी (Eproc 2 के माध्यम से)
01	बरारी पुल घाट के सिढ़ी पर दिवाल से सटे हुए अस्थायी दुकान (3x10 प्रत्येक दुकान) की बंदोबस्ती	100000.00	10000.00	1000.00	As per eproc 2 norms
02	बरारी पुल घाट पहूँच पथ से संतोषी माता मंदिर तक सड़क के दोनों ओर अस्थायी दुकान (10x20 प्रत्येक दुकान) की बंदोबस्ती	200000.00	20000.00	2000.00	As per eproc 2 norms

08. कार्य अवधि – कार्यादेश निर्गत की तिथि से 90 दिन
09 निविदा की वैद्यता अवधि – 120 दिन

नोट :– 1. **Bidders should submit Bid Processing fee through on line payment as per amount generated on website www.eproc.bihar.gov.in**

10. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in अथवा www.prdbihar.gov.in में देखा जा सकता है।
11. **Corrigendum/Addendum, if any will be published on the website itself.**
12. निविदा के किसी भाग या सम्पूर्ण निविदा को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेंगा।

नगर आयुक्त
नगर निगम, भागलपुर

आवश्यक शर्त्तें:–

1. दुकान का प्रकारः–
   - 1.1. बरारी पुल घाट के सिढ़ी पर दिवाल से सटे हुए अस्थायी दुकान (3x10 प्रत्येक दुकान) की बंदोबस्ती– **पूजा सामग्री, मिठाई, प्रसाद, फुल–माला, श्रृंगार, खिलौना, फैंसी आईटम आदि।**
   - 1.2. बरारी पुल घाट पहूँच पथ से संतोषी माता मंदिर तक सड़क के दोनों ओर अस्थायी दुकान (10x20 प्रत्येक दुकान) की बंदोबस्ती – **होटल, रेस्तराँ, चाय–नाश्ता, पानी आदि।**
   - 1.3. बरारी पुल घाट के सिढ़ी पर दिवाल से सटे हुए अस्थायी दुकान (3x10 प्रत्येक दुकान) – प्रत्येक दुकान का निर्धारित दर – अधिकतम 10000/–
   - 1.4. बरारी पुल घाट पहूँच पथ से संतोषी माता मंदिर तक सड़क के दोनों ओर अस्थायी दुकान (10x20 प्रत्येक दुकान) – प्रत्येक दुकान का निर्धारित दर – अधिकतम 20000/–
   - 1.5. उपरोक्त दर के आधार पर ही दुकानदार से राशि प्रतिमाह वसूली करने का अधिकार संवेदक का होगा। यदि किसी भी परिस्थिति में निर्धारित दर के अधिक दर वसूल की जाती है या पाया जाता है कि संबंधित संवेदक का निविदा रद्द कर दिया जाएगा तथा जुर्माना के रू0 में 20000/– प्रति दुकान वसूली किया जाएगा।
2. कोई भी दुकानदार कांवरियों/श्रद्धालुओं से प्रिंट रेट (MRP) या प्रशासन द्वारा तय दरों से अधिक राशि नहीं वसूलेगा। सभी दुकानों के आगे मूल्य तालिका (Price List Display Board) टांगना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर ₹5,000 का दंड निविदाता से लिया जाएगा और दोबारा पकड़े जाने पर संबंधित दुकान आवंटन रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा साथ ही निविदादाता पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
3. Plastic Waste Management Rule के अनुसार मेला क्षेत्र में सिंगल–यूज प्लास्टिक, थर्माकोल के कप–प्लेट और पॉलिथीन बैग का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। केवल बायो–डिग्रेडेबल या कागज/पत्तलों के बर्तनों का उपयोग किया जा सकेगा।
4. प्रत्येक दुकानदार को अपनी दुकान के आगे दो डस्टबिन (हरा और नीला) रखना अनिवार्य होगा। दुकान के आसपास कचरा फैलाने पर नगर निगम द्वारा स्पॉट फाइन (On-the-spot) किया जाएगा।
5. बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है। इसके अतिरिक्त मेला क्षेत्र एवं श्मशान घाट की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, मांस–मच्छली या किसी भी प्रकार के नशीले/अवैध पदार्थों की बिक्री या सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
6. विशेकर हलवाई या भोजन बनाने वाली दुकानों में कम से कम एक चालू हालत का अग्निशामक सिलेंडर और बालू से भरी बाल्टी रखना अनिवार्य होगा। जाँच के क्रम में पाये उक्त शर्त्त की अवहेलना करने पर संबंधित दुकानदार एवं संवेदक पर 5000–5000 रू0 जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा।
7. आवंटित साईज (उपरोक्त वर्णित) से इस इंच भी बाहर दुकान बढ़ाने या सड़क पर सामान निकालने की अनुमति नहीं होगी। इसे अतिक्रमण मानकार बिना नोटिस दिए सामान जब्त कर लिया जाएगा तथा संबंधित दुकानदार पर 10000/– तथा संवेदक से 20000/– रू0 प्रति दुकान का जुर्माना वसूला जाएगा।
8. आवंटित स्थल पर दुकानदार का कोई स्थायी मालिकाना हक नहीं होगा। निविदा अवधि समाप्ति के उपरांत या जिला प्रशासन या निगम प्रशासन के आदेश पर 48 घंटे के भीतर अस्थायी ढांचा हटाना होगा।
9. किसी भी प्राकृतिक आपदा, आगजनी, महामारी या कानून व्यवसथा बिगड़ने की स्थिति में दुकान बंद होता है तो नगर निगम भागलपुर किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई या क्षतिपूर्त्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
10. सफल बोलीदाता को एकरारनामा के समय निविदा मूल्य/कार्यादेश मूल्य का **50%** राशि एक मुश्त नगर निगम, भागलपुर के खाता सं0– **50200011442779**, एच0डी0एफ0सी0 बैंक, **IFSC Code - HDFC0000765** में जमा करना अनिवार्य होगा, तथा एकरारनामा के समय जमा रसीद UTR दव सहित संलग्न कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। शेष राशि समान किस्त में प्रत्येक माह देना अनिवार्य होगा। यदि सफल बोलीदाता के द्वारा प्रथम किस्त की राशि ससमय जमा नहीं की जाती है तो संबंधित निविदादाता का EMD की राशि जब्त करते हुए **H2** बोलीदाता को **H1** के दर पर मौका दिया जाएगा।
11. निविदा कागजात अपलोड करने से पूर्व संवेदक को "Bid Processing Fee" एवं EMD निम्न विधि से जमा करना होगाः–
    - 11.1. "Bid Processing Fee" is mandatory to be paid through online mode i.e internet payment gateway (credit/debit card), Net Banking, NEFT/RTGS.
    - 11.2. "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-procurement portal www.eproc.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non submission of tender/Non Reconciliation of online payment caused due to Non-availability of interest Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason."
12. ई–टेण्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों का ई–टेंन्डरिंग के Service Provider के पास पंजीकृत होना होगा जिससे कि उन्हें उपयोगकर्त्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Password) एवं अंकीय हस्ताक्षर (Digital Signature) निर्गत की जायेगी। यह उन्हें (www.eproc02.bihar.gov.in) से डाउनलोड करने/ई–टेन्डर की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्यता प्रदान करेगा। इसके लिए हेल्प डेस्क प्रथम तल्ल एम/22 बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग रोड नं0–25, श्री कृष्णा नगर, पटना–800020, दूरभाष संख्या 0612–2523006, मो0 संख्या–7542028164 से सम्पर्क किया जा सकता है।
13. राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गये अथवा कार्यों से वंचित (**debarred**) संवेदक इस निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होगें।
    - 13.1. यदि वे जानबुझकर तथ्य छुपाते हुए निविदा डालते है तो सारी जिम्मेवारी उनकी होगी तथा उनके विरूद्ध उचित कार्रवाई की जायेगी।
    - 13.2. निविदा सूचना की अन्य शर्त्तों को पूरा करने के बावजूद किसी संवेदक की दी गयी निविदा बिल्कुल ही मान्य नहीं होगी यदि :–

13.2.1. संवेदक के द्वारा किसी निर्धारित प्रपत्र, विवरणी, शपथ पत्र या योग्यता प्रमाण के रूप में समर्पित किसी कागजात या दस्तावेज में गलत या गुमराह करने वाले तथ्य समर्पित किये गये है।

13.2.2. किसी संवेदक का कार्य के निष्पादन का Record खराब रहा हो। अर्थात् उन्होंने आवंटित कार्य को अधुरा छोड़ दिया हो, संविदा के शर्त्तों के अनुसार सम्यक रूप से पूरा नहीं किया हो, पूर्व से आवंटित किसी कार्य को पूरा करने में गंभीर विलम्ब किया हो, विवाद का इतिहास हो, वित्तीय अक्षमता सिद्ध हुई हो या उनके पास पूर्व से आवंटित कार्य निर्धारित समय सीमा के बाद भी पूरा करने हेतु लंबित हो।तथ्यों को छुपाने की जबावदेही उनकी होगी क्योंकि उनके द्वारा समर्पित कागजात पर ही कार्यालय द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

13.2.3. पार्टनरशीप डीड में अंकित कोई पार्टनर कम्पनी के प्रबंध निदेशक, सहयोग समिति एवं निबंधित संस्थाओं के पदधारक या इन पदों पर कार्य करने वाले पूर्व में ब्लैक लिस्टेड है तो वह फर्म / कम्पनी / सहयोग समिति / निबंधित संस्था निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

14. निविदा कागजात (स्वहस्ताक्षरी होने चाहिए):–

14.1. जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण–पत्र एवं अद्यतन जमा प्रमाण पत्र की प्रति।

14.2. विगत तीन वर्ष में किसी एक वर्ष में सरकारी संस्थान में कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र।

14.3. साझेदार फार्म / कम्पनी के मामले में डीड एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की प्रति।

14.4. पैन कार्ड की प्रति

14.5. अद्यतन आयकर रिटर्न (वित्तीय वर्ष–2022–23 / 2023–24 / 2024–25)

14.6. अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र।

14.6.1. अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी / आरक्षी अधीक्षक / वरीय आरक्षी अधीक्षक से निर्गत होने चाहिए, जिस जिले का पता निबंधन में अंकित है।

14.6.2. पार्टनरशिप एवं कम्पनी के मामले में प्राईम पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र आवश्यक है।

14.6.3. जिस संवेदक के आचरण / चरित्र प्रमाण पत्र में अवधि अंकित है, उस अवधि के बाद निविदा के साथ आचरण प्रमाण पत्र समर्पित करने पर आचरण प्रमाण–पत्र की मान्यता नहीं दी जायेगी।

14.6.4. जिस संवेदक के आचरण प्रमाण पत्र में वैद्य अवधि उल्लेखित नहीं है, उसके आचरण प्रमाण पत्र की मान्यता निर्गत तिथि से छह माह ही मानी जाएगी।

15. शपथ पत्र निम्नांकित प्रपत्र में देना अनिवार्य है।–

मैं अधोहस्ताक्षरी (साफ–साफ बड़े अक्षरों में नाम).. सुपुत्र / सुपुत्री / पत्नी श्री......... .... शपथ पूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि–

15.1. मेरे / हमारे विरूद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं हैं।

15.2. मुझे / हमें किसी सरकार / अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा **Debar, Blacklisted** एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर किसी कार्यों को विखंडित (**Resciend**) नहीं किया गया है।

15.3. मेरे / हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्राय है पति / पत्नी, माता / पिता, भाई / बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमण्डल के कनीय अभियंता / सहायक अभियंता / कार्यपालक अभियंता / प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी / लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।

15.4. निविदा में संलग्न सभी प्रमाण पत्र, कागजात विवरणी जाली एवं गलत नहीं है।

15.5. उपर्युक्त कंडिकाओं 14 में गलत सुचना देने को दोषी पाये जाने अथवा निविदा में कोई भी अभिलेख असत्य, नकली, जाली, पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा मेरे / हमारे विरूद्ध विवि सम्मत कार्रवाई करने के लिए विभाग स्वंतत्र होगा।

16. यह स्पष्ट है कि निविदा के सभी कागजात Website (www.eproc02.bihar.gov.in) पर अपलोड करना होगा, जो स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए। हार्ड कॉपी में मान्य नहीं होगा।

17. सशर्त्त निविदा मान्य नहीं होगी।

18. सक्षम प्राधिकार को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी / किन्हीं को या किसी कार्य के किन्हीं अंश / अंशों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

19. निविदा निष्पादन–

19.1. यदि निविदा की कंडिका संख्या–14 के अनुसार कोई भी कागजात नहीं रहेगा या अधूरा रहेगा तो उसके निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा।

19.2. सफल उच्चतम बोलीदाता (H1) के आधार पर कार्य आवंटित किया जाएगा।

19.3. सफल न्यूनतम दरदाता संवेदक की निविदा आवश्यक्तानुसार दर वार्त्ता के उपरान्त स्वीकार की जायेगी।

19.4. निविदा में सफल एकाधिक संवेदकों से उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉटरी) के आधार पर चयनित संवेदक के साथ ही यदि आवश्यकता हुई तो दर प्रक्रमण (दर वार्त्ता) किया जायेगा एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।

20. किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र केवल भागलपुर न्यायालय होगा।

21. **E-Tendering** में कार्यालय द्वारा **Download** करने में संलग्न अभिलेख यदि अपठनीय पाया जायेगा तो निविदा अमान्य किया जा सकता है।

22. तकनीकी बीड में निविदा का उतना ही कागजात संलग्न करें जितना निविदा शर्त्तों की कंडिकाओं में अंकित है। निविदादाता सभी कागजातों को सूचीबद्ध करते हुए Index के साथ पेज नम्बर करते हुए अपलोड करेंगे ताकि कागजात मिलान करने में सुविधि हो।

निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिकाओं को पूरी तरह समझने के लिए कार्यालय अवधि में निविदाकार नगर आयुक्त, नगर निगम भागलपुर के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

23. In the unlikely event of the server for www.eproc.bihar.gov.in being down for more than two consecutive hours (in the period from midnight to closing time for reciept of tenders) on the last date of receiving of bid, the last date of the same shall be extended by concerned authority only to the next working day till the last receiving time stipulated in the original NIT.
24. The bidders are requested to check their file size of uploaded documents at the time of submission & they should ensure that work file is uploaded. if they feel that the complete file is not uploaded then they should click on cancel & update the same before submission. The bidders should satisfy themselves of Download ability/visibility of the scanned & uploaded file by them.
25. The bidders must use MS office-2007 version, file size should be less than 5 MB and should be in M.S word, M.S, Excel, PDF and jpeg Formats.
26. No claim shall be entertained on account of disruption of internet services being used by bidders, bidders are advised to upload their bids well in advance to avoid last hour's technical snags.
27. In exceptional circumstances the Competent authority, UD & HD may solicit the Bidder's consent to an extension of the period of validity.
28. Bids that are rejected during the bid opening process shall not be considered for furthered evaluation, irrespective of the circumstances.
29. The bidders shall submit their eligibility and qualification details, Technical bid, Financial Bid etc., in the online standard formats given for respective tenders in e-procurement website (www.eproc02.bihar.gov.in) at the respective stage only. The bidders shall upload the scanned copies of all the relevant certificates, documents etc. In support of their eligibility criteria/technical bids and other certificate/documents in the e-procurement website. The bidder shall sign on the supporting statements, documents, certificates, uploaded by him, owning responsibility for their correctness/authentictly.

नगर आयुक्त
नगर निगम, भागलपुर